| सत्यमेव जयते | राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|---|
| | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | फाल्गुन 09, बुधवार, *शाके* 1945-फरवरी 28, 2024<br>*Phalguna 09 Wednesday , Saka 1945- February 28 , 2024* | |


**भाग-1(ख)**

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

**गृह (ग्रुप-9) विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, फरवरी 14, 02, 2024**

**संख्या प. 20 (1) गृह-9/2023** :-यत राज्य सरकार ने राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 ¼1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (iV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14-02-2024 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को दिनांक 12-04-2024 तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है।

यत राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 ¼1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 3 की उप-धारा (1) की शक्तियों को प्रयोग करते हुये राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में हडताल किये जाने को एतद्द्वारा दिनांक 12-04-2024 तक के लिये प्रतिषेध करती है।

**राज्यपाल की आज्ञा से,**

महेश कुमार शर्मा,
**शासन उप सचिव, गृह।**


7429

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**